

परिशिष्ट-1.1

राज्य की रुपरेखा (दिल्ली)			
ए. सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण		संख्या
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या		
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011) के अनुसार (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी..
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 27.5* प्रतिशत)		9.91** प्रतिशत
5.	ए.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	86.34 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर*** (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत = 47 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		23.94**
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.1 वर्ष)		ला.न.
8.	गिनी गुणांक****		
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.30)	0.26
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.37)	0.33
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2012-2013 वर्तमान मूल्य पर		₹ 365726.26 करोड़
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2002-03 से 2011-12 तक)		दिल्ली
			सामान्य वर्ग के राज्य
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2003-04 से 2012-2013) तक		दिल्ली
			सामान्य वर्ग के राज्य
	बी	वित्तीय आंकड़े	
क्र.सं.	विवरण	संख्या (प्रतिशत में)	
1	मि.वा.वृ.द्ध	2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
		सामान्य श्रेणी राज्य	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति का.	17.48
	बी.	कर राजस्व का.	17.44
	सी.	गैर कर राजस्व का.	12.64
	डी.	कुल व्यय का .	14.15
	ई.	पूँजीगत व्यय का.	16.83
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का.	15.35
			14.86
			16.60
			(-) 4.5
			6.2
			19.30
			17.90
			17.80

साधारण आंकड़े के स्रोत:

\* बी.पी.एल (योजना आयोग तथा एन एस एस ओ आंकड़े, 61 वॉ चरण),

\*\* आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, स.रा.क्षे.दि.स.

\*\*\*नव-जात शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011),

\*\*\*\*गिनी गुणांक (योजना आयोग का गैर-सरकार अनुमान और एन.एस.एस.ओ आंकड़े, 61 वॉ चरण 2004-05 एम.आर.पी.),

\*\*\*\*\* संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

वित्तीय आंकड़े राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं।

+ गोवा, दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर।

गिनी गुणांक जनसंख्या में आय विवरण असमानता का एक मानक है। मूल्य दर शून्य से एक है, जहाँ शून्य का श्रेष्ठ समानता होने से संदर्भ है और एक का श्रेष्ठ असमानता होने से संदर्भ है।

<b>परिशिष्ट 1.2</b> (पैराग्राफ 1.1 को देखें) <b>भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट</b>	
<p><b>सरकारी लेखों की संरचना :</b> राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं— (i) समेकित निधि, (ii) आकरिमक निधि (iii) लोक लेखे</p> <p><b>भाग I : समेकित निधि:</b> राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।</p> <p><b>भाग II: आकरिमक निधि:</b> राज्य की आकरिमक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है। अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जबकि आकरिमक निधि से अग्रिम निधि से पूरा किया।</p>	
<b>भाग ख: वित्तीय लेखों की स्थिति</b>	
विवरणी	स्थिति
विवरणी सं. 1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश
विवरणी सं. 2	वर्ष की समाप्ति तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं. 3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरणी सं. 4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम किए गये पुनः भुगतानों और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं. 5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं. 6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं. 7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं. 8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य संवितरण
विवरणी सं. 9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान तथा वर्ष की समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरणी सं. 12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं. 13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों के अलावा) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरणी सं. 14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं. 15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय समेकन की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी गई शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है :

शर्तें	गणना का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में पैरामीटर (एक्स) की उत्पलावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि}/\text{पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाये+आर्थिक सेवाये
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष के राजकोषीय देयताओं)]*100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक *ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्ति-विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तिघटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 के अंतर्गत खर्चों को सम्मिलित न करते हुए-ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 1.3  
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े  
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग ए: प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्र.)	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97
(i) कर राजस्व	12180.70	13447.86	16477.75	19971.67	23431.52
कृषि आय पर कर					
बिक्री, व्यापार,ईत्यादि पर कर	9152.09	10126.01	12068.62	13750.95	15803.69
राज्य उत्पाद शुल्क	1420.91	1643.56	2027.09	2533.72	2869.74
वाहनों पर शुल्क	419.12	462.65	707.55	1049.19	1240.18
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	787.99	929.97	1355.75	2240.25	3098.06
भूमि राजस्व	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	400.57	285.64	318.71	397.54	419.84
(ii) गैर कर राजस्व	2300.73	3467.40	4188.95	460.87	626.93
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1870.79	3536.08	4357.40	1960.64	1502.52
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ					
3. ऋणों व अग्रियों की वसुली	798.99	318.15	436.77	376.25	724.90
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	17151.21	20769.49	25460.87	22769.42	26285.87
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	428.74	1769.00	4388.94	556.08	922.41
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रियों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रियों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	428.74	1769.00	4388.94	556.08	922.41
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28
<b>भाग बी. व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	11762.56	13900.88	14381.74	17964.86	20659.36
योजनागत	3944.14	4742.76	4891.59	6440.86	6498.72
गैर-योजनागत	7818.42	9158.12	9490.15	11524.00	14160.64
सामान्य सेवाएँ (व्याज भुगतानों सहित)	3434.55	3629.67	3728.95	4347.23	5738.57
सामाजिक सेवाएँ	6599.37	8103.58	8718.80	10717.11	11737.43
आर्थिक सेवाएँ	1272.69	1650.28	1392.46	2172.22	2350.82
सहायता अनुदान और योगदान	455.95	517.35	541.53	728.29	832.53
11. पूंजीगत व्यय	3995.40	4717.27	3984.80	4004.27	4176.63
योजनागत	3992.21	4713.62	3981.32	3999.96	4171.74
गैर-योजनागत	3.19	3.65	3.48	4.31	4.90
सामान्य सेवाएँ	333.48	356.13	264.55	188.82	196.88
सामाजिक सेवाएँ	681.32	636.94	536.74	578.23	1100.95
आर्थिक सेवाएँ	2980.60	3724.20	3183.51	3237.22	2878.81
12. ऋणों तथा अग्रियों का संवितरण	4217.32	5701.30	6364.73	3345.42	3734.83
13. कुल (10+11+12)	19975.28	24319.45	24731.27	25314.55	28570.82
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	386.03	606.47	793.06	1087.88	1287.99
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रियों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	386.03	606.47	793.06	1087.88	1287.99
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81

17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81
<b>भाग सी. घाटा</b>					
20. राजस्व में घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)4589.65	(+)6550.46	(+) 10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)2824.07	(-)3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)312.20	(-)1077.03	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93
<b>भाग डी. अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2511.87	2472.93	2579.52	2917.26	2862.88
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	7627.57	9988.68	-	-	-
25. पूर्वोपाय उपयोग किए गए अग्रिम/ओवरड्राफ्ट (दिन)					-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज					
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	189533.12	219395.95	261470.09	310735.76	365726.26
28. बकाया वित्तीय देयताएँ	25381.66	26544.20	30140.09	29608.29	29242.71
29. बकाया गारण्टियों (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
<b>भाग ई. वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
निजी कर राजस्व/जीएसडीपी	6.43	6.01	6.30	6.43	6.41
निजी कर गैर-कर राजस्व/जीएसडीपी	1.21	1.58	1.60	0.15	0.17
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/जीएसडीपी	10.54	11.08	9.46	8.15	7.81
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	122.16	118.92	98.83	113.05	111.78
राजस्व व्यय/कुल व्यय	58.89	57.16	58.15	70.97	72.31
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	43.58	42.54	43.41	51.88	50.23
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30.46	30.52	27.88	27.48	22.58
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	20.00	19.40	16.11	15.82	14.62
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.33	17.93	15.04	15.07	13.93
<b>III वित्तीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	(+) 2.42	(+) 2.99	(+) 4.07	(+)1.43	(+) 1.34
वित्तीय घाटा / जीएसडीपी	(-)1.49	(-) 1.62	(+) 0.28	(-) 0.82	(-) 0.62
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	(-) 0.16	(-) 0.49	(+) 1.27	(+) 0.12	(+) 0.16
<b>IV वित्तीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	13.39	12.10	11.53	9.53	8.00
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	155.22	129.79	120.44	132.22	114.40
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 12.21	(-) 68.00	(+) 123.67	(+) 13.61	(+) 24.49
ऋण मुक्ति (मूल ++ब्याज) कुल ऋण प्राप्तियाँ					
<b>V अन्य वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
निवेश पर वापसी	0.31	0.38	0.37	0.23	0.16
बालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	7611.09	9670.26	13515.26	9887.38	10231.39
वित्तीय परिसम्पत्तियों/देयताएँ	90.86	95.22	90.94	94.79	97.88

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षक के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं  
 @ सरकार द्वारा अपनाए जीएसडीपी आंकड़े सूचित किए गए हैं।

**परिशिष्ट 1.4**  
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)  
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10 (आर)	2010-11 (पी)	2011-12 (क्यू)	2012-13 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	189533.12	219395.95	261470.09	310735.76	365726.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.00	15.76	19.18	18.84	17.70

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, स.रा.क्षे. दिल्ली सरकार  
(आर) - संशोधित, (पी) - वैकल्पिक, (क्यू) - तत्काल आकलन, (ए) - अग्रिम आकलन

**परिशिष्ट 1.5**  
भाग क : वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार  
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में )

खण्ड क : राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13		
					गैरयोजना	योजना	कुल
22393.17	I. राजस्व प्राप्ति	25560.97	17964.86	I. राजस्व व्यय	14160.64	6498.72	20659.36
19971.67	कर राजस्व	23431.52	4347.24	सामान्य सेवाएं	5595.31	143.26	5738.57
			10717.12	सामाजिक सेवाएं	5728.63	6008.80	11737.43
460.87	—गैर कर राजस्व	626.93	4422.25	—शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	3882.62	1210.18	5092.80
			2458.80	—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1202.84	1305.49	2508.33
	—संघीय करों में राज्यों का अंश		2351.91	—जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	423.72	1957.16	2380.88
			20.64	—सूचना एवं प्रसारण	14.04	0	14.04
978.85	—गैर-योजना अनुदान	333.57	185.28	—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	12.58	192.83	205.41
814.75	—राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	919.73	76.63	—श्रम एवं श्रमिक कल्याण	70.06	10.32	80.38
			1195.37	—समाज कल्याण एवं पोषण	115.31	1332.82	1448.13
167.03	—केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	249.21	6.22	—अन्य	7.46	0	7.46
			2172.22	आर्थिक सेवाएं—	2004.16	346.66	2350.82
			79.64	—कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	68.81	9.61	78.42
			7.44	—ग्रामीण विकास	6.29	1.85	8.14
				—विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
			105.85	—सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	108.17	0.34	108.51
			585.64	—ऊर्जा	673.30	18.08	691.38
			26.93	—उद्योग एवं खनिज	9.15	17.99	27.14
			1210.40	—परिवहन	1080.46	139.32	1219.78
			45.71	—विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.04	31.34	32.39
			110.60	—सामान्य आर्थिक सेवाएं	56.94	128.12	185.06
			728.29	सहायता अनुदान एवं योगदान			
			17964.86	कुल	0	832.53	832.53
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		4428.31	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	-	-	4901.61
22393.17	कुल	25560.96	22393.17	कुल			25560.96

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

खण्ड-क : राजस्व			संवितरण				
प्राप्ति			संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13		
					गैर- योजना- गत	योजना- गत	कुल
<b>खण्ड-ब : पूंजीगत एवं अन्य</b>							
7713.20	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित अथशेष	4636.28		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	IV. विविध पूंजीगत प्राप्ति			IV. पूंजीगत रूपरेखा			
			188.82	सामान्य सेवाएं-	0	196.88	196.88
			578.23	सामाजिक सेवाएं-	0	1100.95	1100.95
			326.51	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	377.94	377.94
			167.45	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	225.82	225.82
			34.25	जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	400.58	400.58
			-	सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			27.10	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	37.73	37.73
	खण्ड-ब : अन्य (निष्कर्ष)		17.18	समाज कल्याण एवं पोषण	0	29.54	29.54
			5.73	अन्य	0	29.35	29.35
			3237.22	आर्थिक सेवाएं-	4.90	2873.91	2878.81
			20.04	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0.40	24.63	25.03
			149.38	ग्रामीण विकास	0	206.25	206.25
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			53.16	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.50	73.72	78.22
			865.96	ऊर्जा	0	556.39	556.39
			(-)1.43	उद्योग एवं खनिज	0	50.39	50.39
			2140.93	परिवहन	0	1961.14	1961.14
			0.50	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.47	0.47
			8.69	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	0.92	0.92
			4004.27	कुल	4.90	4171.74	4176.63
376.25	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	724.90	3345.42	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	-	-	3734.83
299.47	- पॉवर परियोजना से	172.95	966.36	पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	700.00



खण्ड-क : राजस्व			संवितरण				
प्राप्ति			संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13		
					गैर-योजना-गत	योजना-गत	कुल
2.26	- सरकारी सेवकों से	2.10	0.93	सरकारी सेवकों को	-	-	0.79
74.52	-अन्यों से	549.85	2378.13	अन्यों का	-	-	3034.04
	<b>VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया</b>			VI. राजस्व घाटा कम किया गया			
			<b>1087.88</b>	<b>VII. लोक ऋण की पुर्नअदायगी-</b>	-	-	<b>1287.99</b>
<b>556.08</b>	<b>VII. लोक ऋण प्राप्ति-</b>	<b>922.41</b>		बाह्य ऋण	-	-	-
	बाह्य ऋण	-		पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-		पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	1087.88	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुतान	-	-	1287.99
	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेन-देन	-		<b>VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन</b>			-
556.08	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	922.41		<b>IX. आकस्मिक निधि से व्यय</b>			-
	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-		<b>X. लोक खाता संवितरण</b>			-
	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-		अल्प बचते एवं भविष्य निधियाँ			-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-		आरक्षित निधियाँ			-
	लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	-		उचंत एवं विविध			-
	आरक्षित निधियाँ	-		प्रेषण			-
	उचंत एवं विविध	-		जमा एवं अग्रिम			-
	<b>प्रेषण</b>	-	<b>4636.28</b>	<b>XI अंत में नकद शेष-</b>			<b>1985.75</b>
	जमा एवं अग्रिम	-		खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-		रिजर्व बैंक में जमा			-
		-		स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
		-		नकद शेष निवेश			-
<b>31038.70</b>	<b>कुल</b>	<b>31844.56</b>	<b>31038.70</b>	<b>कुल</b>	-	-	<b>31844.56</b>

परिशिष्ट 1.5 (जारी)  
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग बी			
31 मार्च 2012 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2012 को	देयताएँ		31-03-2013 को
29608.28	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		29242.71
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
29608.27	गैर-योजनागत ऋण		29242.70
-	राज्य योजनागत ऋण	-	-
0.01	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
54499.92	राजस्व अधिशेष		59401.53
1587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1587.95
3356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3356.46
89052.61	कुल		93588.65
	परिसम्पत्तियाँ		
36299.44	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		40715.08
14655.90	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		16388.15
21643.54	अन्य पूंजीगत परिव्यय		24326.93
48116.90	ऋण और अग्रिम		50887.82
6278.39	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		6566.45
27728.99	अन्य विकास ऋण		29564.40
14109.51	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14756.97
4636.28	संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष		1985.75
89052.61	कुल		93588.65

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्त योग्य मदों अथवा स्टॉक ऑकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल आवंटन के अंतर्गत 31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2013 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 36299-44 करोड़ तथा ₹ 40715-08 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹1587-95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे। इसी प्रकार परिसंपत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के लिए क्रमशः ₹ 48116.90 करोड़ तथा ₹50887.82 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

**परिशिष्ट-2.1**  
**₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची**  
**(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रति-शत	कारण
	राजस्व-दत्तमत							
<b>अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>								
1	2202 ए1(2)(8)(1) अतिरिक्त विद्यालय सुविधाएँ	1557.63		1557.63	1492.18	65.45	4.20	बचत मुख्यतः शिक्षकों व अन्य स्टाफ की रिक्तियों, एमएसीपी को अंतिम रूप न देने एवं कम बिलों के कारण थी।
<b>अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>								
2	2210 ए1 (1) (2) विद्यालय स्वास्थ्य रकीम	108.87	-	108.87	16.05	92.82	85.24	बचत मुख्यतः रिक्तियों तथा स्कीम की धीमी प्रगति और बिलों/दावों की गैर प्राप्ति के कारण थी।
3	2210 एफ(1)(1)(1) गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	257.35	-	257.35	193.41	63.94	24.84	बचत मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम स्टोर वस्तुओं की खरीद एवं ईपीसी द्वारा खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण थी।
4	2052 ए के 1(1)(1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	104.00	-	104.00	3.32	100.7	96.8	बचत मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम विज्ञापनों तथा कम्प्यूटरों की कम खरीद के कारण थी।
<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>								
5	7055 डी डी 4(1) (5) बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	-	300	300	-	300	100	एमआरटीएस को ऋण जारी न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 9 उद्योग</b>								
6	3456 डी 1(4) (7) ई डब्ल्यू एस के लिए अन्नश्री रकीम	135	-	135	30.80	104.2	77.17	बचत मुख्यतः रकीम की धीमी प्रगति एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक दावों की गैर प्राप्ति के कारण थी।
<b>अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग</b>								
7	2215 ए 6(1)(1)(6) असंसाधित जल के लिए दि.ज.बो को अनुदान सहायता	300	-	300	250	50	16.67	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
8	2216ए 7(1)(1)(2) कमजोर वर्ग हेतु आवास के निर्मा. के लिए दि.न.नि. डीयूएसआईबी (मलिन बस्ती) को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	250	--	250	130	120	48	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
9	2217ए8(2)(1)(26) नगरीय सुधार हेतु सहायता अनुदान	339.87	-	339.87	150	189.87	56	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

10	3054ए12(1)(1)(3) शहरी सड़कों के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	120	-	120	30	90	75	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
11	3054 ए12 (1)(12) आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	55	-	55	-	55	100	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
<b>पूँजी – दत्तमत्त अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>								
12	4202 एए1 (1)(1)(2) विद्यालय भवनों के कार्य की आउटसोर्सिंग	250	-	250	50	200	80	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
<b>अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग</b>								
13	4217एए1(3)(1)(5) अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	400	-	400	303.36	96.64	24.16	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
14	6215 एए 2 (2) (1) (5) यमुना एक्शन प्लान-दिल्ली सरकार अंश के अंतर्गत सीवर व्यवस्था के पुर्नस्थापना हेतु दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	75	-	75	23	52	69.33	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी।
15	6215 एए 2 (2) (1) (13) जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दि.ज.बो. को ऋण	251.50	-	251.50	193.60	57.9	23	— वहीं —
16	7615 एए 5(1) (5) साधन आश्रय हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को ऋण	790	-	790	620	170	21.5	— वहीं —
17	7615 एए 5(1) (6) अर्धोपाय समर्थन हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ऋण	620	-	620	61	559	90.16	— वहीं —
18	7615 एए 5(1) (7) अर्धोपाय समर्थन हेतु पूर्व दिल्ली नगर निगम को ऋण	421	-	421	319	102	24.22	— वहीं —
19	4070 बीबी 3(1) (2) केंद्रीय कारागार भवन	120	-	120	38.75	81.25	67.70	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
20	4210 बीबी 5(1) (1) (1) (1) चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण	220.50	-	220.50	62.16	158.34	71.81	बचत मुख्यतः संस्वीकृ ति के देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
21	5054 बीबी 11(1) (1) (1) सड़कों और पुलों का निर्माण	800	241.40	1041.40	708.83	332.57	32	बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में संस्वीकृ ति की प्राप्ति के कारण थी।
22	5054 बीबी 11(1) (1) (4) सीआरआफ योजनाएँ	50	-	50		50	100	सीआरएफ के अंतर्गत संस्वीकृति की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

23	5054 बीबी 11(1) (1) (6) कॉमनवेल्थ खेलों हेतु सीटी तथा टीडीसी द्वारा सड़कों व पुलों का निर्माण	290	-	290	118.37	171.63	59.18	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
24	6801 ईई 1(3) (3) (1) प्रगति पॉवर परियोजना-III बवाना को ऋण	377.61	-	377.61	200	177.61	47.03	बचत मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण थी।
25	6801 ईई 1(5) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को ऋण	350.00	-	350.00	-	350.00	100	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
26	4801 ईई 2(1) (1) (4) प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड- फेस II बामनौली इक्विटी अंशदान	75.00	-	75.00	-	75.00	100	इक्विटी पूँजी के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
27	लोक ऋण 2049 ए 1(1) (1) राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीम हेतु ऋणों पर ब्याज	3300.00	-	3300.00	2862.88	437.12	13.24	बचत मुख्यतः भारत सरकार से ऋण के जारी होने के कारण थी।
	<b>कुल</b>	<b>11618.33</b>	<b>541.40</b>	<b>12159.73</b>	<b>7856.60</b>	<b>4303.04</b>		

परिशिष्ट - 2.2  
विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे  
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	कारण
	राजस्व-प्रभारित				
	<b>अनुदान सं. 3 न्याय प्रशासन</b>				
1	2014 बी 1 (1) (1) सत्र न्यायालय भारित	10	—	10	बचत मुख्यतः रिक्रियों, कम दावों/विलों की प्राप्ति, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप न देने तथा बकाया के गैर-भुगतान के कारण थी।
	<b>अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>				
2	2202 ए 1 (4) (4) (2) विद्यालयों में योगा योजना का आरंभ	5.0	—	5.0	बचत मुख्यतः रिक्रियों एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण थी।
	राजस्व-दत्तमत				
	<b>अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन</b>				
3	2250 सी 7 (1) (1) (1) अल्पसंख्यक आयोग को सहायता अनुदान	150	—	150	अजा/अजजा, अपिव व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के स्थानांतरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
4	2252 एच 1 (1) (5) सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने हेतु)	200	—	200	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>अनुदान सं. 3 न्याय प्रशासन</b>				
5	2014 ई 1(1) (1) निर्देशन एवं प्रशा.	6	—	6	रिक्रियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
6	2014 ई 1(2) (5) दिल्ली विवाद निस्तारण सोसायटी को सहायता अनुदान	300	—	300	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>				
7.	2202 ए1(2)(8)(8) चयनित विद्यालयों/विज्ञान संग्रहालय में अन्वेषण परियोजना	5.50	---	5.50	रिक्रियों एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
8.	2202 ए1(2)(8)(29) सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राज्य का अंश	1200	---	1200	भारत सरकार से निधियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
9.	2203 बी1(5)(19) महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1000	---	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। सहायता अनुदान जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
10.	2203 बी 1(6)(8) स्टाफ विकास	44	---	44	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
11.	2203 बी 2(1)(3)(4) दिल्ली रिकल मिशन सोसाइटी को सहायता अनुदान	200	---	200	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
12.	2205 एफ2(2)(2) प्रितष्ठत लेखकों को पेंशन	5	---	5	योजना का धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
13.	2205 एफ (3)(3) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्था को सहायता अनुदान	20	---	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
14.	2202 जे1(1)(1)(2) दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान से सम्बन्धित कॉलेजों को सहायता	20	---	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

15.	2202 जे 1(1)(1)(3) कॉलेज जाने वाली छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए कॉलेजों को सहायता अनुदान	50	—	50	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
16.	2202 जे 1(1)(2)(1)(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता	10	—	10	लाभार्थियों की कम संख्या के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
17.	2202 जे 1(1)(4)(2) सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ	10	—	10	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
18.	2202 जे 1(1)(4)(3) नये डीग्री कॉलेज का खुलना	10	—	10	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>				
19.	2210 ए 1(1)(3)(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	1400	—	1400	दावों की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
20.	2210 ए 1(1)(4)(4) दिल्ली में नया चिकित्सालय	60	—	60	लो.नि.वि. से भवन के स्वामित्व की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
21.	2210 ए 1(1)(5)(5) दिल्ली में कार्यरत सेवा डॉक्टर को राज्य पुरस्कार	40	—	40	—
22.	2210 ए 1(4)(1)(3) राज्य रुग्णता सहायता निधि (दिल्ली आरोग्य निधि) को दिल्ली सरकार का अंशदान	150	—	150	लाभार्थियों की कम संख्या के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
23.	2211 ए 3 (1)(2) आपका स्वास्थ्य बीमा	500	—	500	भारत सरकार से निधियों की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
24.	2210 ए 1(3)(1)(2) चिकित्सा शास्त्र के विश्वविद्यालय कॉलेज	10	—	10	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
25.	2210 ए 1(1)(1)(1) (9) बाल विकास केन्द्र	10	—	10	कारण प्रतीक्षित
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>				
26.	2235 ए 2(1)(2)(16) सामाजिक एवं शारीरिक लाभ से वंचित लोगों के लिए राज्य कार्यक्रम घटनाएं	10	—	10	कारण प्रतीक्षित
27.	2225 सी 1(1)(2)(4) अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना	3000	—	3000	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
28.	2225 सी 1(3)(1)(8) अल्पसंख्यकों केंद्रित जिलों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य सरकार अंश	500	—	500	सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित है।
29.	2041 डी 1(4)(14)(4) नई दिल्ली नगर निगम	110	—	110	करों के अंश के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
30.	2070 डी 2(1)(1) मोटर गैरेज	6	—	6	कारण प्रतीक्षित
	<b>अनुदान सं. 9 उद्योग</b>				
31.	2851 ए 2(3)(6) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुदान सहायता	100	—	100	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
32.	2851 ए 2(4)(4) दस क्षेत्रीय/विशेष प्रदर्शनीयों	10	—	10	कारण प्रतीक्षित
33.	2851 ए 2(7)(1) हस्तकरघा को प्रोत्साहन	18	—	18	कम बिलों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
34.	2230 बी 1(1)(2)(5) रोजगार एक्सचेंज के संचालन का कंप्यूटरीकरण	25	—	25	कारण प्रतीक्षित
35.	2230 सी 2(1)(4)(3) दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को हॉलिडे होम चलाने हेतु सहायता अनुदान	20	—	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

36	2230 सी 2(1)(4)(4) दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रमिक कल्याण केंद्रों के निर्माण/नवीनीकरण हेतु सहायता अनुदान	10	—	10	कारण प्रतीक्षित
37	2230 सी 2(1)(6)(1) बाल श्रमिकों का पुनर्वास	550	—	550	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
38	2230 सी 2(1)(6)(1)(1) दिल्ली स्वस्थ कुटुम्ब सोसाइटी को सहायता अनुदान	300	—	300	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
39	3456 डी 1(2)(3) रवैच्छिक एजेंसियों उपभोक्ता आंदोलन, प्रचार इत्यादि में आबद्ध को सहायता	5	—	5	कारण प्रतीक्षित
40	3456 डी 1(4)(1) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सहायता प्राप्त	5	—	5	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
41	3456 डी 1(4)(3) उपभोक्ताओं को चीनी हेतु आर्थिक सहायता	5	—	5	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
42	3456 डी 1(4)(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को भोजन हेतु आर्थिक सहायता	5	—	5	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
43	3456 डी 1(4)(5) अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों की जाँच हेतु बाजार द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान	250	—	250	वित्तीय वर्ष के अन्त तक दावों की प्राप्ति न होने के कारण योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 10 विकास</b>					
44	2403 बी 3 (1)(2)(11) विद्यमान पशु चिकित्सालयों का सशक्तिकरण	40	—	40	कारण प्रतीक्षित
45	2029 ई 1 (3)(1) सचिव राजस्व	5.50	—	5.50	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
46	2029 ई 2 (2)(2)(2) विज्ञापन एवं प्रचार	5	—	5	विज्ञापन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
47	2235 ई 7 (1)(3)(1)(1) बंधुआ मजदूर का पुर्नवास	6	—	6	कम दावों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
48	2015 एच 6 (1)(1)(1) चुनाव पर खर्च	5	—	5	कारण प्रतीक्षित
49	2245 एम 5 (1)(1)(1)(1) अन्य मदें	10	—	10	कारण प्रतीक्षित
50	2029 एन 1 (3)(1) उत्तर पश्चिम क्षेत्र	5	—	5	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
51	2015 ओ 7 (5)(1)(1) लोक सभा चुनाव का संचालन	5	—	5	कम बिलों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
52	2435 पी 2 (3)(1)(4) एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन	20	—	20	कारण प्रतीक्षित
53	2401 पी 6 (1)(1) शहरी क्लस्टरों के लिए वनस्पति प्रोत्साहन (बी आई यू सी)	200	—	200	नई योजना के कार्यान्वयन के कारण आधिक्य था। योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग</b>					
54	2070 ए 3 (2)(1) एम सी डी को अपवर्तन जुमानों की प्रतिपूर्ति	25	—	25	कारण प्रतीक्षित
55	2215 ए 6 (1)(1)(3) दि.ज.बो. का सुधार	600	—	600	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
56	2216 ए 7 (1)(1)(4) कमजोर वर्ग हेतु आवासों के निर्माण के लिए दि.वि.प्रा. को अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	500	—	500	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
57	2216 ए 7 (1)(1)(6) राजीव आवास योजना (डी यू एस आई बी)	1000	—	1000	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
58	2217 ए 8 (1)(1)(6) अव-मानक क्षेत्रों हेतु परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी	30	—	30	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।



59	2217 ए 8 (2)(1)(15) जेजे क्लस्टरों में शिशु वाटिका/सार्वजनिक स्थानों हेतु एम सी डी (स्लम) को सहायता अनुदान	200	—	200	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
60	2217 ए 8 (2)(1)(17)(3) अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सेवाओं हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	100	—	100	अनुदानग्राही संस्थान द्वारा कार्य के निष्पादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
61	2217 ए 8 (2)(1)(28) कनॉट प्लेस के पुर्नविकास हेतु एनडीएमसी को सहायता अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	4500	—	4500	अधिशेष का मुख्य कारण अधिक अनुदान का जारी होना था। प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
62	2217 ए 8 (3)(1)(6) S.V. वॉल्ड सिटी के पुर्ननिर्माण हेतु एस वी पी	4000	—	4000	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। अनुदानग्राही संस्थान से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
63	3054 ए 12 (1)(1)(9) जे एन एन यू आर एम हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
64	3054 ए 12 (1)(1)(10) जे एन एन यू आर एम हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
65	3054 ए 12 (1)(1)(11) जे एन एन यू आर एम पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
66	3054 ए 12 (1)(1)(12) आर ओ बी/ आर यूबी के निर्माण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	5500	—	5500	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
67	3054 ए 12 (1)(1)(13) आर ओ बी/आर यू बी के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2000	—	2000	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं.—13 पेंशन</b>					
68	2071 ए 1 (1)(2)(1)(1)– पेंशनी प्रभार	12250	—	12250	पेंशन योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>कुल</b>		<b>44351</b>		<b>44351</b>	
<b>पूँजी दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 4 वित्त</b>					
69	4059 एफ एफ 1 (1)(1)(1)– व्यापार व कर एनेक्सीज बिल्डिंग	2800	—	2800	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित हैं।
<b>अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>					
70	4202 जी जी 1 (1)(1)(2) स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवन का अधिग्रहण	5	—	5	<b>कारण प्रतीक्षित</b>
71	4202 जे जे 1 (1)(1)(1) इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन का निर्माण	1000	—	1000	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
72	6202 जे जे 2 (1)(1)(1) जी.जी.आई. पी. विश्वविद्यालय को ऋण	500	—	500	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 8 सामाजिक कल्याण</b>					

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

73	4235 बी बी 1 (1)(1)(1) महिलाओं एवं लड़कियों हेतु संकटकाल मध्यस्थता केन्द्र	30-	-	30	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
74	4235 बी बी 1 (1)(1)(2) कार्यशील महिला हॉस्टल का निर्माण	30	-	30	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
75	5055 डी डी 1 (2)(4) जे एन एन यू आर एम हेतु दिल्ली परिवहन निगम की इक्विटी पूँजी	4000	-	4000	दि.प.नि को इक्विटी जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
76	5055 डी डी 2 (1)(1)(5) सिंग रेलवे/ आर आर टी एस का उपयोग	1250	-	1250	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
77	7055 डी डी 4 (1)(5) बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु एम आर टी एस को ऋण	30000	-	30000	अधिशेष का मुख्य कारण एम आर टी एस को अधिक ऋण जारी करना था। एम आर टी एस को ऋण जारी न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 9 उद्योग</b>					
78	5475 डी डी 1 (1)(1) जिला जनसमा एवं राज्य आयोग को स्थान उपलब्ध कराना	100	-	100	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 10 विकास</b>					
79	4402 बी बी 2 (1)(1) मिट्टी परीक्षण एवं लवण प्रभावित भूमि का मिट्टी सुधार	50	-	50	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
80	5425 पी पी 1 (1)(4) एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन	100	-	100	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
<b>अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोकनिर्माण विभाग</b>					
81	4217 ए ए 1 (2)(1)(1) एन सी आर विकास बोर्ड को शेयर पूँजी अंशदान	500	-	500	कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
82	4217 ए ए 1 (3)(1)(1) समाज सांस्कृतिक केन्द्रों का संकुचन	1000	-	1000	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
83	6215 ए ए 2 (1)(1)(11) चन्द्रावल डब्ल्यू टी पी हेतु दि.ज.बो. को ऋण	2400	-	2400	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी। दिल्ली जल बोर्ड को ऋण जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
84	7755 ए ए 9 (1)(1)(2) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को ऋण	1000	-	1000	कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
85	7755 ए ए 9 (1)(1)(3) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ऋण	3000	-	3000	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
86	7755 ए ए 9 (1)(1)(4) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ऋण	1000	-	1000	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी। कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
87	4055 बी बी 1 (1)(1)-दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी	40	-	40	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
88	4210 बी बी 5 (2)(2)(1)(6) आई.आई. पी.एच. हेतु भवन का निर्माण	50	-	50	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
89	4210 बी बी 5 (3)(1)(3) ड्रग नियंत्रण हेतु भवन का निर्माण	50	-	50	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

90	4250 बी बी 8 (2)(3) नए कार्यालय कॉम्प्लैक्स एवं श्रम कल्याण केन्द्रों का निर्माण/ नवीनीकरण	100	—	100	संस्वीकृतियों की गैर-प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
91	4250 बी बी 8 (2)(4)(2) राज्य अंश	10	—	10	कार्य की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
92	5054 बी बी 11 (1)(1)(4) सी आर एफ योजना	5000	—	5000	सी आर एफ योजना के अंतर्गत संस्वीकृतियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
93	5054 बी बी 11 (1)(1)(8) बी आर टी कॉरिडोर गेम्स	3500	—	3500	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। संस्वीकृतियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
94	6801 ईई 1 (5)(2)—दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का ऋण	35000	—	35000	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
95	4801 ईई 2 (1)(1)(4) प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन फेज-II बमनोली को इक्विटी अंशदान	7500	—	7500	इक्विटी पूँजी के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
96	4801 ईई 2 (1)(1)(8) दिल्ली रिन्यूवेबल एनर्जी पॉवर कम्पनी-डी आर ई पी सी को अंशदान	2000	—	2000	बचत मुख्यतः कम इक्विटी के जारी होने के कारण थी। योजना के गैर-कार्यन्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
97	4801 ईई 2 (1)(1)(10) कझौवला में नई पॉवर परियोजनाएँ, आई एल और आर पी एच	2500	—	2500	बचत मुख्यतः कम इक्विटी के जारी होने के कारण थी। योजना के गैर-कार्यन्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
98	4801 ईई 2 (1)(2)(3) मारा-II महान कोयला ब्लॉक का विकास	500	—	500	योजना के गैर-कार्यन्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>कुल</b>	<b>105015</b>		<b>105015</b>	
	<b>सकल जोड़</b>	<b>1,49,366</b>		<b>1,49,366</b>	

**परिशिष्ट— 2.3**

वर्ष 2012-13 के लिए अत्यधिक प्रावधान पर अधिक व्यय का आवश्यक नियमन  
(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या	अधिक राशि
<b>11, शहरी विकास</b>		
1	2059 बी 1 (1)(2) निर्माण	0.86
2	3054 बी 3 (1)(1)(1)(1) सड़कों व पुलों अनुरक्षण	0.37
3	4056 बीबी 2 (1)(2)(7) दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड	0.13
4	4070 बीबीबी अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	0.75
5	4202 बीबी 4 (1)(5)(2) अनुसूचित लागतो हेतु विशेष घटक योजना: विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी)	2.71
6	4202 बीबी 4(3)(1)(3) खेल परिसरों, तरणतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्सों का विकास	2.84
7	बीबी 5(1)(1)(1)(2) राज्य औषध प्राधिकरण एवं क्रय एजेन्सी	0.39
8	बीबी 5(1)(1)(1)(19) मेडिकल कॉलेज अस्पताल	1.71
9	बीबी 11(1)(1)(2) यमुना पार क्षेत्र में सड़क व पुलों का निर्माण	1.68
10	बीबी 11(1)(1)(5) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	8.55
11	बीबी 11(1)(1)(7) कॉमन वेल्थ गैम्स	7.23
<b>कुल</b>		<b>27.22</b>

## परिशिष्ट-2.4

अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख या उससे अधिक)  
(पैरा ग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचत	प्रतिपूरक प्रावधान	कारण
1.	<b>राजस्व- भारित अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशा.</b>					
	2012 ए 1(1)(1) सचिवालय	552.70	493.95	58.75	17.50	बचत मुख्यतः कम विदेशी दौरो के कारण थी।
	<b>राजस्व- दत्तमत्त अनुदान सं. 8 सामाजिक कल्याण</b>					
2.	2235 बी 2(1)(1)(3) सुरक्षा-आन्तरिक एवं बाह्य और स्वच्छता का संवर्धन (डी डब्ल्यू.सी.डी.)	500.00	483.68	16.32	150.00	बचत मुख्यतः नई एजेन्सी को कम दरों पर लगाने के कारण थी।
3.	2235 बी 2(1)(5)(1) भागीदारी- सामाजिक विकास में नई पहल	1850.00	1845.44	4.56	180.00	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी।
4.	2225 सी 1(1)(1)(15) अजा (एससीएसपी) हेतु शिक्षा केन्द्र	900.00	0	900.00	100.00	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
5.	2225 सी 1(1)(3)(15) विद्यालयों में अनुसूचित जाति छात्रों को किताबों व लेखन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	5500.00	5277.86	222.14	115.00	बचत मुख्यतः कार्यान्वयनकारी विभागों द्वारा निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण थी।
6.	7055 डीडी 4(1)(5) बिक्री-कर की प्रतिपूर्ति हेतु एमआरटीएस को ऋण	-	-	200.52	200.52	एमआरटीएस को ऋण जारी न किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>अनुदान सं. 10 विकास</b>					
7.	2030 ई 2(3)(1)(2)(4) प्रत्यर्पण	3000.00	6.00	2994.00	500.00	बचत मुख्यतः प्रत्यर्पण योग्य प्राप्ति का प्रत्यर्पण सम्बन्धित प्राप्ति मद से होने के कारण थी।
8.	2401 पी 6(1)(1) शहरी वलस्टरो हेतु वनस्पति प्रोत्साहन (वीआईयूसी)	-	-	20.00	20.00	योजना के गैर कार्यान्वयन कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	<b>कुल</b>	<b>12302.70</b>	<b>8106.93</b>	<b>4416.29</b>	<b>1283.02</b>	

**परिशिष्ट-2.5**  
**निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन**  
**(जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)**  
**(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचतें	कारण
	<b>राजस्व-भारित</b> <b>अनुदान सं 1 .विधान सभा</b>			
1	2011ए 1 (1)(1)(2) सदस्य	1.25	1.26	बचत मुख्यतः वि.स.स. के चिकित्सा दावों को अंतिम रूप न दिए जाने और यात्रा भत्ते के कम दावों की प्राप्ति के कारण थी।
	<b>राजस्व-दत्तमत</b> <b>अनुदान सं 2 .सामान्य प्रशासन</b>			
2	2051जी 1(1)(1) दिल्ली सरकार हेतु कर्मचारी चयन बोर्ड	0.75	3.92	बचत मुख्यतः कम परीक्षाओं के आयोजन, विज्ञापनों की कम संख्या व दावों की समय पर प्राप्ति न होने के कारण थी।
	<b>अनुदान सं 3 .न्यायिक प्रशासन</b>			
3	2014 बी 1 (1)(2) जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	1.00	3.26	बचत मुख्यतः कम्प्यूटरों के क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।
	<b>अनुदान सं 6- शिक्षा</b>			
4	2202 ए 1 (2)(2) निरीक्षण	0.49	1.78	बचत मुख्यतः शिक्षकों व अन्य स्टाफ की रिक्तियों, एमएसीपी को अंतिम रूप न दिये जाने व कम बिलों के कारण थी।
5	2202ए 1(2)(8)(24) छात्रों को नूल-पादय पुस्तक की निःशुल्क आपूर्ति करने हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान	1.09	1.18	बचत मुख्यतः सहायता प्राप्त विद्यालयों से कम माँग प्राप्त होने के कारण थी।
6	2202 ए 1 (2)(8)(32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	5.56	8.06	योजना के लागू न होने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
7	2202 ए 1 (4)(4)(19) वाई.यू.वी.ए. की योजना	2.00	2.21	बचत मुख्यतः विद्यालयों से कम माँग प्राप्त होने के कारण थी।
8	2203 बी 1 (4)(1) निर्देशन एवं प्रशासन	2.82	4.81	
9	2230 बी 2 (1)(2)(1) शिल्पी प्रशिक्षण योजना	2.11	3.02	बचत मुख्यतः एम.ए.सी.पी. के अंतिम रूप न दिये जाने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम भण्डार एवं वित्तीय मात्रा के कारण थी।
10	2205 एफ 2 (1) (4) संस्कृत अकादमी को अनुदान	0.50	1.11	बचत मुख्यतः रिक्तियों के कारण थी।
	<b>अनुदान सं. 7</b> <b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
11	2210 बी 1 (1)(1)(1) लोक नायक अस्पताल	15.43	30.15	बचत मुख्यतः रिक्तियों, उपकरणों की खरीद के लिए निविदा का अंतिम रूप न दिये जाने तथा बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण थी।
12	2210 ओ 1 (1)(1)(1) राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1.50	2.00	बचत मुख्यतः रिक्तियों, ई-निविदा को अंतिम रूप न दिये जाने तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति के कारण थी।
13	टी. 1 (1)(1)(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1.61	2.36	बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण थी।
14	यू 1 (1)(1)(1) अतर सेन अस्पताल	2.18	3.02	बचत मुख्यतः पदों को योजनागत से गैर-योजनागत में परिवर्तन, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण थी।

	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>			
15	2225 सी 1 (1)(1)(3)(14) योग्यता सह आजीविका आधारित छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.)	2.09	2.14	बचत मुख्यतः छात्रों के द्वारा आधार संख्या के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण थी।
16	2225 सी 1 (3)(1)(7) अल्पसंख्यक संकेन्द्रीकरण जिलों के लिए बहु आयामी विकास योजना (सी.एस.एस.)	9.00	9.99	बचत मुख्यतः कार्यान्वित विभागों द्वारा निधि के अनुपयोग के कारण थी।
	<b>अनुदान सं. 9 उद्योग</b>			
17	2851 ए 2 (6)(9) हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट (सी.एस.एस.)	1.92	1.94	बचत मुख्यतः कुछ प्रशासनिक कारणों से छूट न दिये जाने के कारण थी।
18	2851 ए 2 (6)(11) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (सी.एस.एस.) के लिए हथकरघा को प्रोत्साहन	3.01	3.32	कुछ प्रशासनिक कारणों से अनुदान जारी न किये जाने के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
19	2852 ए 6 (1)(1)(1) खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन	0.99	1.00	योजना के गैर कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
	<b>अनुदान सं. 10 विकास</b>			
20	2401 बी 1(6)(3) पशुधन गणना का आयोजन	1.50	1.76	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी।
21	2053 इ 3 (1)(1) सचिव राजस्व	0.40	3.86	बचत मुख्यतः रिक्तियों एवं किराये पर टेन्ट किराये हेतु भुगतान प्रशासनिक कारणों से न किये जाने के कारण थी।
22	2235 इ 7 (1)(1)(1) सचिव राजस्व	0.01	2.48	बचत मुख्यतः 1984 के दंगा पीड़ितों को भुगतान का अंतिम रूप न दिये जाने के कारण थी।
23	2245 इ 8 (2)(1)(1) आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ	4.00	6.53	बचत मुख्यतः मानव जीवन संसूचन मशीन तथा अस्का लाईट्स और वाटर मिस्ट खरीदने हेतु संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
24	2401 पी 6 (1)(1) शहरी क्लस्टर के लिए वेजिटेबल इन्सेन्टिव (वी.आई.यू.सी.)	1.80	2.00	योजना के गैर कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
	2217 ए 8(2)(1)(28) कर्नाट प्लेस का पुनर्विकास के लिए एन. डी.एम.सी. को सहायता अनुदान			
	<b>अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा लो.नि.वि.</b>			
25	2217 ए 8(2)(1)(28) कर्नाट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एन.डी.एम.सी. को सहायता अनुदान	22.80	45.00	प्रस्ताव की गैर प्राप्ति के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
	<b>पूँजीगत -दत्तमत अनुदान संख्या-6 शिक्षा</b>			
26	4202 जी जी आई (1)(1)(1) स्मारकों का संरक्षण	1.75	4.42	बचत मुख्यतः आई.एन.टी.ए.सी.एच. के साथ समझौते का विस्तार देरी से होने के कारण थी।
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>			
27	7055 डी.डी. 4 (1)(6) एम.आर.टी.एस. को बिक्री कर प्रतिपूर्ति के लिए ऋण टनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा उद्योग	99.48	300	एम.आर.टी.एस. को कर्ज की जारी न करने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
	<b>अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा उद्योग</b>			
28	4210 बी बी 5 (1)(1)(1)(16) जी.बी.पंत अस्पताल	2.00	2.25	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
29	4210 बी बी 5 (1)(1)(1)(28) डॉ.एन.सी. जोशी अस्पताल	1.00	1.45	बचत मुख्यतः संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
30	4210 बी बी 5 (1)(2)(1) संजय गाँधी अस्पताल, मंगोलपुरी (एस.सी.एस.पी.)	4.50	5.47	बचत मुख्यतः संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
31	5054 बी बी 11 (1)(1)(1) सड़कों और पुलों का निर्माण	241.40	332.57	बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्वीकृति की प्राप्ति के कारण थी।
	<b>कुल</b>	<b>435.94</b>	<b>794.32</b>	

परिशिष्ट-2.6

वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक अभ्यर्पणों (कुल प्रावधान का 40% या अधिक) की समीक्षा का परिणाम  
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	अनुसूची के नाम (खातों के शीर्ष)	कुल अनुदान विनियोग	राशि (अभ्यर्पित बचत)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	कारण
1.	3 न्याय का प्रशासन	2014 न्याय विभाग ई 1(2)(5) डिस्प्यूट रिसोलुशन सोसायटी को सहायता अनुदान	3.00	3.00	100%	अनुदानों को जारी न करना
2.	6 शिक्षा	2202 जे.1(1)(3)(3) राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सहायता अनुदान	10.00	5.00	50 :	कम अनुदानों को जारी करना
3.		2202 जे.1(1)(4)(1) दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट	5.00	3.75	75:	बचत मुख्यतः कम अनुदान के कारण थी।
4.		2202 जे.1(4)(2) सरकारी कॉलेज में नये पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण	0.10	0.10	100:	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण
5.		2202 जे.1(4)(3) नये डिग्री कालेज की शुरुआत, मेडियोलोजी विभाग	0.10	0.10	100:	योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण
6.		4202 जी जी.1(1)(1)(3) म्यूजियम तथा आर्ट गैलरी	1.45	0.95	65.51:	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। बचत मुख्यतः दाराशिकोह पुस्तकालय में म्यूजियम को स्थापित करने के लिए डी.पी. आर. बनाने हेतु एजेन्सी को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण थी।
7.		जी.जी.1(1)(1)(4)डी.टी.टी. टी.डी.सी.(सी.एस.एस.) द्वारा स्मारकों की ज्योति का रुपान्तरण	0.50	0.30	60:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
8.		4202 ए.ए. 1(1)(1)(1) वी. के.एस. द्वारा विद्यालय के भवन का निर्माण	26.00	12.00	46:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
9.		4202 ए.ए. 1(2)(1)(1) खेल के मैदानों, स्वीमिंग पूलों एवं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सों का विकास	6.00	5.1	85:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
10.		4202 जे.जे. 1(1)(1)(1) इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन एवं भवन का निर्माण	10.00	9.99	99.9 :	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
11.		6202 जे.जे. 2 (1)(1)(1) जी.एस.एस.आई.पी. विश्वविद्यालय को ऋण	5.00	5.00	100:	ऋण को जारी न करने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।



12.	9 उद्योग	3456 डी.1(4)(2) घरेलु एल.पी.जी. पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.00	1.00	50:	वित्तीय वर्ष के अन्त में दावों के गैर-प्राप्ति के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
13.		3456 डी.1(5)(2) ई.डब्ल्यू. एस. (एस.सी.एस.पी.) के लिए अन्नश्री योजना	15.00	9.00	60:	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति व वित्तीय वर्ष के अन्त में दावों की गैर-प्राप्ति के कारण थी।
14.	11 शहरी विकास व पी.डब्ल्यू.डी.	5054 बी.बी.11(1)(1)(8) बी. आर.टी.कोरिडोर	35.00	31.72	90.62	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। संबंधित विभाग से कारण प्रतिक्षित है।
15.	12 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7610 ए.ए.1(1) गृह निर्माण अग्रिम	1.33	1.03	77.44	बचत मुख्यतः कम आवेदन के कारण थी।
16.	13 पेंशन	2071 ए.1(1)(2)(1)(1) पेंशनरी चार्ज	122.50	122.50	100:	पेंशन योजना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
		<b>कुल</b>	<b>242.91</b>	<b>210.54</b>		

**परिशिष्ट 2.7**

**₹ 1 करोड़ एवं उससे ऊपर की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई  
(पैराग्राफ: 2.3.9 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1.	अनुदान संख्या 1 विधान सभा	दत्तमत 1.55	0.01	1.54
2.	अनुदान संख्या 2 सामान्य प्रशासन	दत्तमत 16.07	3.26	12.81
3.	अनुदान संख्या 5 गृह	दत्तमत 25.62	13.08	12.54
4.	अनुदान संख्या 6 शिक्षा	दत्तमत 437.93	227.84	210.09
5.	अनुदान संख्या 8 समाज कल्याण	दत्तमत 478.43	0	478.43
6.	अनुदान संख्या 9 उद्योग	दत्तमत 173.22	117.60	55.62
7.	अनुदान संख्या 10 विकास विभाग	दत्तमत 196.26	0.50	195.76
8.	अनुदान संख्या 11 शहरी विकास एवं लो. नि. वि.	दत्तमत 2122.24	1031.07	1091.17
	कुल	<b>3452.32</b>	<b>1393.36</b>	<b>2057.96</b>

## परिशिष्ट-2.8

अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस एवं एस सी एस पी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा  
(पैसाग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	<b>राजस्व-दत्तमत</b> <b>अनुदान सं. 2</b> <b>सामान्य प्रशासन</b>			
1	2052 सी 1 (1) (7) (1) अन्य प्रशासनिक खर्च भागीदारी (सी एस एस)	1.00	-	1.00
2	2070 डी 1 (1) (2) सूचना की अधिकता हेतु क्षमता निर्माण - यू एन डी पी परियोजना (सी एस एस)	5-00	&	5-00
	<b>राजस्व-भारित</b> <b>अनुदान सं. - 4 वित्त</b>			
3	3454 डी 1 (1) (2) (3) इण्डिया स्टेटिस्टिकल स्ट्रेथिनिंग प्रोजेक्ट(आई एस एस पी) (सी एस एस)	10.00	-	10.00
	<b>अनुदान सं. 6 शिक्षा</b>			
4	2202 ए 1 (1) (1) (1)(2) दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (सी एस एस)	10.00	-	10.00
5	2202 ए 1 (2) (8)(23) राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम (सी एस एस)	1.00	-	1.00
6	2202 ए 1 (2) (8) (28) माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन (सीएसएस)	100.00	-	100.00
7	2202 ए 1(2)(8)(31) विद्यालय में अतिथि सत्कार एवं पर्यटन पाठ्यक्रम (सी एस एस)	10-00	&	10-00
8	2202 ए 1(2) (8) (32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों (सीएसएस) में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश	806.55	-	806.55
9	2202 ए 1(4) (4) (21) माध्यमिक स्टेज पर अक्षमों को एकीकृत शिक्षा (आई इ डी एस एस-सी एस एस (केन्द्रीय अंश)	200.00	-	200.00
10	2230 बी 2 (1) (2) (3) सरकारी आई.टी.आई.(सी.एस.एस.) में प्रशिक्षण संसाधन को प्रोन्नत करना	1.00	-	1.00
11	2230 बी 2 (1) (3) (1) (2) वर्तमान आई टी आई (सी एस एस) में विस्तृत प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद तथा आई टी आई का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन	10.00	-	10.00
	<b>अनुदान सं. 7</b> <b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
12	2210 ए 1 (3) (2) (1) (1) सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	20.00	-	20.00
13	2210 ए 1 (3) (2) (1) (3) दिल्ली स्टेट ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	5.00	-	5.00
14	2210 ए 1 (3) (2) (12) सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	8.00	-	8.00
15	2210 ए 1 (3) (2) (12)(2) सीएसएसपी फार एस सी (सीएसएस)	2.00	-	2.00

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

16	2210 ए 1 (4) (1) (5) राज्य रुग्णता सहायता निधि के प्रति केन्द्रीय सरकार का अंशदान (सीएसएस)	100.00	-	100.00
17	2210 एफ 1 (3) (1) (3) मेडिकल कालेज में फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन विभाग में सुविधाओं का उत्थान (सीएसएस)	1.00	-	1.00
18	2210 एफ 1 (3) (1) (4) मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कालेजों को सक्षम बनाना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
19	2210 आई 1 (1) (2)(1) फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज को सक्षम बनाना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
20	के 1 (9) (3) उप केन्द्र (सीएसएस)	6.00	-	6.00
21	2210 एम 1 (1) (2) (8) स्नातक कॉलेज के अन्तर्गत दवाओं की भारतीय प्रणाली एवं होम्योपैथिक का विकास (सीएसएस)	2.00	-	2.00
22	2210 एम 1 (2) (1) फूड एण्ड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज को वित्तीय सहायता (सीएसएस)	1.00	-	1.00
23	2210 एम 1 (2) (2) (1) सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिओरियेंटेशन (सीएसएस)	1.00	-	1.00
24	2210 एम 1 (3)(1) (2) (1) सहायता अनुदान (सीएसएस)	10.00	-	10.00
25	2210 एम 1 (3) (1)(2) (2) आयुष डिस्पेंसरी को अत्यावश्यक दवाएँ (सीएसएस)	1.00	-	1.00
26	2210 ए 1 (1) (1) (1) (2) एक्ट्रा मुरल रिसर्च होमियोपैथी (सीएसएस)	1.00	-	1.00
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>			
27	2235 ए 2 (1) (7) (1) शिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए स्कीम (सीएसएस)	1.00	-	1.00
28	2235 बी 2 (1) (2) (16)-आई सी डी एस III प्रोग्राम प्रोटेक्ट – यू डी आई एस एच ए (सीएसएस)	3.00	-	3.00
29	2235 बी 2 (1) (3) (15) स्वायामिसिधा (सीएसएस)	2.00	-	2.00
30	2235 बी 2 (1) (3) (24) महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (सीएसएस)	16.00	-	16.00
31	2225 सी 1 (1) (1) (6) दिलशाद गार्डन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग हेतु नया केन्द्र (एस सी एस पी)	1.00	-	1.00
32	2225 सी 1 (1) (1) (9) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित मकानों के विधुतीकरण हेतु सब्सिडी (एस सी/ एस टी (एस सी एस पी) हेतु हाऊसिंग सब्सिडी)	5.00	-	500
33	2225 सी 1 (1) (1) (13) एस सी/ एस टी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक (एस सी एस पी) हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना	2000.00	-	2000.00
34	2225 सी 1 (1) (1) (14) राजीव गाँधी रत्न आवास योजना के अन्तर्गत एस सी स्लम निवासियों को आर्थिक सहायता हेतु डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	700.00	-	700.00
35	2225 सी 1 (1) (1)(15) एस सी हेतु शिक्षा हब (एससीएसपी)	1000.00	-	1000.00

36	2225 सी 1 (1) (1) (17) एस सी महिलाओं के लिए एन्टीनैटल केस इन्सटीट्यूशनल डिलिवरी उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	700.00	-	700.00
37	2225 सी 1 (1) (4) (2) सिविल राइट्स एक्ट, 1955 एण्ड एस सी/ एस टी प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटिज एक्ट, 1989 (सीएसएस) का क्रियान्वयन	11.00	-	11.00
38	2225 सी 1 (3) (1) (6) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन (सीएसएस)	10.00	-	10.00
39	3452 ई 1 (2) (3) (1) गार्डन फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी डी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	5.00	-	5.00
40	3452 ई 1 (2) (3) (2) कबाब फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी डी डी सी को सहायता अनुदान	5.00	-	5.00
41	3452 ई 1 (2) (3) (4) गौजुदा वेबसाइट एवं इ-कामर्स सुविधा का जीर्णोधार करने हेतु डी टी एण्ड टीटीडीसी को सहायता राशि (सीएसएस)	5.00	-	5.00
42	3452 ई 1 (2)(3) (6) छावला एवं कंगनहरी जल क्रीड़ा के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	1.00	-	1.00
43	3452 ई 1(2) (3)(7) मैंगो फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी डी डी सी को सहायता अनुदान	1.00	-	1.00
44	3452 ई 1 (2) (3) (8) दि.न.नि. को कई पार्किंग, निर्माण तथा मूत्रालयों की मरम्मत के लिए सिग्नेजिज की स्थापना/स्थिरीकरण इत्यादि के लिए सहायता अनुदान इत्यादि (सीएसएस)	10.00	-	10.00
45	3452 ई 1 (2)(3) (9) संजय लोक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के विकास हेतु डी टी डी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	360.00	-	360.00
46	3452 ई 1(1) (3) (12) दिल्ली हाट, आईएनए नई दिल्ली में नई सुविधाएँ हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	15.00	-	15.00
47	3452 ई 1 ( 1) (3) (13) इंगिफेस्ट के आयोजन हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान	4.00	-	4.00
48	5452 ईई 1 (1) (2) (1) पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सीएसएस)	72.00	-	72.00
	<b>अनुदान सं. 9</b> <b>उद्योग</b>			
49	2851 ए 2 (5) (6) राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (सी एस एस)	5.00	-	5.00
50	2851 ए 2(6) (9) हथकरघा वस्त्र की विक्री पर छूट (सीएसएस)	193.98	-	193.98
51	2851 ए 2 (6) (11) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना हेतु हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सीएसएस)	331.67	-	331.67
52	2851 ए 2 (8) (1) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
53	2851 ए 2 ( 9) (5) हस्तशिल्प को प्रोत्साहन (एससीएसपी)	1.00	-	1.00
54	2851 ए 2 (9) (6) राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (एससीएसपी) (सीएसएस)	1.00	-	1.00

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

55	2852 ए 6 (1) (1) (1) खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन (सीएसएस)	100.00	-	100.00
56	2230 सी 2 (1) (7) (2) दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (एससीएसपी)	2.00	-	2.00
57	2230 सी 2 (1) (7)(3) बाल श्रमिक का पुनर्वास (एस सी एस पी)	50.00	-	50.00
58	3435 सी 3 (1) (1) (1) औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना का मजबूतीकरण (सीएसएस)	5.00	-	5.00
59	3456 डी 1 (2) (4) अन्नपूर्णा स्कीम (सीएसएस)	55.00	-	55.00
60	3456 डी 1 (3)(2) उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम (सीएसएस)	10.00	-	10.00
	अनुदान सं. 10 विकास			
61	2401 बी 1 (5) (5) प्रसारण सुधार हेतु पोग्राम (सीएसएस)	2.00	-	2.00
62	2401 बी 1 (9) (4) कृषि का वृहत पैमाने पर प्रबन्धन (सीएसएस)	20.00	-	20.00
63	2402 बी 2 (2) (1) मिट्टी परीक्षण एवं मिट्टी सुधार एवं सलाइन (एस सी एस पी)	1.20	-	1.20
64	2403 बी 3 (2) (7) (1) सामान्य घटक (सीएसएस)	2.00	-	2.00
65	2403 बी 3 (2) (9) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (सीएसएस)	40.00	-	40.00
66	2403 बी 3 (2) (10) पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण (एल एच एण्ड डी सी) (सी एस एस)	2.50	-	2.50
67	2245 ई 8 (2) (1) (4) राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा प्रोग्राम (सीएसएस)	22.80	-	22.80
68	2406 एफ 2 (2) (1) (5) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटि वन्यजीव अभ्यारण्य का विकास (सीएसएस)	15.00	-	15.00
	<b>अनुदान सं.-11 शहरी विकास एवं लो.नि.वि.</b>			
69	2217 ए 8 (3) (1) (4) जे एन एन यू आर एम के अन्तर्गत बी एस यू पी एवं आई एच एस डी पी के क्रियान्वयन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण गतिविधियाँ (सीएसएस)	5.00	-	5.00
	<b>पूँजीगत-दत्तमत अनुदान सं.-6 शिक्षा</b>			
70	4202 जीजी 1 (1) (1) (4) डी टी टी डी सी द्वारा स्मारकों की प्रदीप्ति का संरक्षण (सीएसएस)	50.00	-	50.00
	<b>अनुदान सं. 9 उद्योग</b>			
71	6851 एए 3 (4)(2) करघों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण (एस सी एस पी)	1.20	-	1.20
	<b>अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लो.नि.वि.</b>			
72	4250 बीबी 8 (2) (4) (1) विश्व बैंक शेयर (सीएसएस)	50.00	-	50.00
	<b>कुल</b>	<b>7208.90</b>		<b>7208.90</b>

**अनुलग्नक-2.9**  
**वर्ष 2012-13 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह**  
**(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम किए गए तिमाही के दौरान 2012-13 के व्यय		मार्च 2013 में किए गए व्यय		
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1	04 वित्त	"2039" उत्पाद व मनोरंजन ई 1(1)(1)(1)- गुप्त सेवा व्यय जिला. कार्यकारी व्यय (एन पी)	0.20	0.20	0.20	100.00	0.20	100.00	
2		"2039" ई 1(4)(2)(2)- उत्पाद व मनोरंजन विभाग	0.25	0.22	0.22	0.88	0.22	88.00	
3	05 गृह	"2070" बी 1(1)(1)(10) नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड	0.14	0.14	0.14	100.00	0.14	100.00	
4		"2055" डी 1(1)(1)(10) सूच. प्रौद्यो. (एन पी) फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला	0.03	0.03	0.03	100.00	0.03	100.00	
5	06 शिक्षा	"2202" ए 1 (4)(5)(2) व्यय का अधिकार अधिनियम (एसएससीपी) एस सी के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान (पीएल)	2.50	2.33	2.33	100.00	2.33	100.00	
6		"2203" बी 1(5)(5)(7) सूच. एवं प्रौद्यो. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक. (पी एल)	0.80	0.44	0.44	100.00	0.44	100.00	
7		"2202" जे 1(1)(2)(1)(3) विश्वविद्यालय कालेजों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा. निदे. एवं प्रशा. उच्च शिक्षा निदेशालय (पी.एल)	0.09	0.09	0.07	100.00	0.07	100.00	
8		"2202" जे 1(1)(2)(1)(5) कालेज लेक्चर के लिए अवार्ड निदे. एवं प्रशा. उच्च शिक्षा निदेशालय (पीएल)	0.11	0.11	0.11	100.00	0.11	100.00	
9		"2202" जे 1(1)(1)(6)(1) डिग्री कालेजों को सहायता अनुदान (एससीएसपी) एस सी के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान उच्च शिक्षा निदेशालय	1.62	1.50	1.50	100	1.50	100	
10	07 चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	"2210" ए 1(3)(3)(10) एचआईवी/एडस प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00	
11		"2211" के 1(4)(1) विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एमएमआर (पीवी)	6.45	6.40	4.25	66.41	2.15	33.59	
12		"2211" के 1(9)(4) ग्रामीण परिवार सेवाएँ (पीवी)	1.30	1.30	1.30	100.00	1.30	100.00	
13		"2211" के 1(10)(2) राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी दिल्ली को सहायता अनुदान (पीवी)	60.00	57.87	44.60	77.07	44.60	77.07	
14		"2210" एम 1(1)(1)(9)-आपूर्ति एवं सामग्री (पीवी)	4.84	4.67	4.67	100.00	4.67	100.00	
15		"2210" जेड 1(1)(1)(7)- अन्य प्रशासनिक व्यय (पीवी) डा.एन. सी.जोशी मेमोरियल अस्पताल	1.00	0.69	0.69	100.00	0.69	100.00	
16		08 समाज कल्याण	"2235" ए 2 (1)(5)(4)(5) बुजुर्ग व्यक्तियों के पुनर्वास के सहायता अनुदान (एनआईपी) अन्य योजना	0.09	0.08	0.08	100.00	0.08	100.00

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

17		"2235" ए 2(1)(8)(1) वरिष्ठ नागरिक पेन्शन योजना (वृद्ध अवस्था सहायता का विस्तार) (एससीएसपी)(पीवी)	55.00	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00
18		"2235" ए 2(1)(8)(2) अक्षम व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी) (पीवी)	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	10.00
19		"4235" .. 1(1)(2)(1) वृद्धाश्रम (पीवी)	2.30	1.46	1.05	71.91	1.04	71.23
20		"4235"-1(1)(2)(2) हाफ वे होम / जांगस्टे होम (पीवी)	14.00	14.00	7.00	50.00	7.00	50.00
21		"2235" बी-2(1)(2)(18) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को स.अ. (राज्य अंश) (पीवी)	0.70	0.65	0.65	100.00	0.65	100.00
22		"2235" बी.2 (1)(2)(19) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	6.53	4.28	4.28	100.00	4.28	100.00
23		"2235" सी.1(1)(2)(1) अजा/अजजा हेतु डीएसएफडीसी को वित्तीय सहायता	0.55	0.30	0.30	100.00	0.30	100.00
24		"6225" सीसी-2(1)(2)(6) अजा/अजजा/अपिव/अल्प-सं छक हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण (रा.क.प्रा.यो.) (पीवी)	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
25		"5055" डीडी-1(2)(1) एमआरआई प्राधिकरण को इक्विटी पूंजी (पीवी)	749.70	749.70	449.70	59.98	449.70	59.98
26		"5055" डीडी-1(2)(2) बसों के ह: हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी (पीवी)	200.00	199.55	199.55	100.00	199.55	100.00
27	10 विकास विभाग	"2403" सी 3(1)(1)(7) आपूर्ति एवं मार्केटिंग (एनपी)	0.12	0.12	0.12	100.00	0.12	100.00
28		"2053" जे 3(1)(6) लघु कार्य (पीएल)	0.60	0.20	0.20	100	0.20	100.00
29		"2053" के 3(1)(1)(6) लघु कार्य (पीएल)	0.80	0.79	0.79	100	0.79	100.00
30		"2053" ओ 3(1)(1)(6) लघु कार्य	0.50	0.27	0.27	100.00	0.27	100.00
31		"2810" पी 4(1)(1)(2) सोलर/रियाईलेबल ऊर्जा (पीएल)	3.00	2.34	2.34	100.00	2.34	100.00
32		"4515" बीबी 4(1)(1)(2) ग्रामीण विकास बोर्ड कार्य को आगे आईडीआरवी (पीएल) ले जाना	164.00	162.42	63.97	39.48	43.53	26.87
33		"4515" बीबी 4(2)(3) ग्रामीण विकास बोर्ड कार्य के आगे आईडीआरवी (एससीएसपी) (पीएल) ले जाना	36.00	35.65	14.04	39.38	9.55	26.78
34	11 शहरी विकास एवं लो.नि. वि.	"2217" ए 8(2)(1)(3)(3) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता प्रवर्धन के आधुनिकीकरण तथा सशक्तिकरण के लिए सहायता अनुदान	40.00	40.00	22.00	55.00	22.00	55.00
35		"4217" एए 1(3)(1)(5) अनाधिकृत कालोनियों का विकास (पीएल)	307.00	200.00	121.68	360.84	91.33	45.66
<b>कुल</b>			<b>1682.47</b>	<b>1565.03</b>	<b>1025.82</b>		<b>968.43</b>	



**अनुलग्नक 2.10**  
निकाय/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अन्तर्गत संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति  
के बिना प्रावधान की वृद्धि (पैराग्राफ 2.6 को देखें)

(₹ in crore)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की स. और नाम	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	कारण
	<b>अनुदान सं.6 शिक्षा</b>					
1	2202 ए (1)(1)(1)(4) एससीईआरटी को सहायता अनुदान (राज्य अंश)	-	0.01	3.99	4.00	नई योजना के क्रियान्वयन के कारण
2	2202 ए 1(1)(3)(1)(2) प्राथमिक शिक्षा हेतु उत्तरी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	120.00	0.01	9.99	130.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
3	2202 ए 1(1)(3)(1)(3) प्राथमिक शिक्षा हेतु दक्षिणी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	111.82	-	0.18	112.00	---
4	2202 ए 1(1)(3)(1)(4) प्राथमिक शिक्षा हेतु पूर्वी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	68.18	0.01	10.81	79.00	वही
5	2202 ए 1(2)(8)(24) छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान	8.90	0.01	1.09	10.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
6	2202 ए 1(2)(9)(4) छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	1.10	0.01	0.19	1.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
7	2204 ए 2(1)(5)-शारीरिक शिक्षा में सुधार हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.20	0.01	0.11	1.32	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
8	2204 ए 1(4)(7) शारीरिक शिक्षा में सुधार हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	0.72	0.01	0.99	1.72	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
9	2204 ए 2 (3)(7) खेलकूद संघों को सहायता अनुदान	0.74	0.01	0.15	0.90	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
10	2236 ए 4 (1)(1)(10)मध्याह्न आहार कार्यक्रम हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	16.02	-	0.20	16.22	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
11	2236 ए 4(1)(1)(11) मध्याह्न आहार कार्यक्रम हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	10.68	-	0.80	11.48	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
12	2202 एफ.1 (1)(1)(1) विद्यालयों में पंजाबी शिक्षण कार्यक्रमों हेतु पंजाबी अकादमी को अनुदान	3.30	-	0.20	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
13	2202 एफ 1(1)(1)(2) विद्यालयों में उर्दू शिक्षण कार्यक्रमों हेतु उर्दू अकादमी को अनुदान	2.00	0.01	3.79	5.80	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
14	2205 एफ 2 (1)(1) हिन्दी अकादमी को अनुदान	7.25	0.01	0.49	7.75	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
15	2205 एफ 2(1)(10) राज्य समारोहों के आयोजन हेतु साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	10.00	0.01	3.99	14.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
16	2202 जे.1(1)(1)(1) डिग्री कॉलेजों को अनुदान (भारित)	117.30	0.01	5.07	122.38	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	<b>अनुदान सं. 7</b> <b>चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>					
17	2210 ए 1(1)(4)(3) मानव व्यवहार व	80.00	0.01	1.99	82.00	अधिक अनुदान जारी होने

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	सम्बद्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान					के कारण
18	2210 ए 1(1)(4)(5) सोसाईटी को सहायता अनुदान (आईवीपीएसएस)	0.15	0.01	0.09	0.25	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
19	2210 ए 1(1)(4)(7) मौलाना आजाद दन्त विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	21.00	-	1.00	22.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
20	2210 ए 1(1)(5)(11) स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	96.02	-	0.23	96.25	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
21	2210 ए 1(1)(5)(12) स्वास्थ्य प्रयोजन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	15.52	-	0.78	16.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
22	2210 ए 1(1)(5)(13) स्वास्थ्य प्रयोजन से पूर्वी दिल्ली नगर को सहायता अनुदान	31.96	-	1.04	33.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
23	2210 ए 1(1)(5)(16) हॉस्पिटल में बिजली, पानी की आपूर्ति तथा सीवर ट्रीटमेंट सेवाओं को बढ़ाने हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	0.10	0.01	0.19	0.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
24	2210 ए 1(1)(5)(17) आईएसएस डिस्पेंसरी/हॉस्पिटल हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2.75	0.01	0.74	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
25	2210 ए 1(3)(2)(11) (1) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	20.85	0.01	7.44	28.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
26	2210 ए 1(3)(2)(11) (2) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	18.47	0.01	7.62	26.10	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
27	2210 ए 1(3)(2)(11) (3) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	9.37	0.01	5.92	15.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
28	2210 ए 1(3)(3)(2) अनुमोदित कार्यक्रमों हेतु एनजीओ को सहायता अनुदान हेतु योजना	0.20	0.01	0.09	0.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
29	2210 ए 1(3)(3)(11) अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2.58	-	0.02	2.60	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
30	2210 के 1 (10) (2) दिल्ली स्वास्थ्य सोसाईटी (दिल्ली) को स्वास्थ्य अनुदान	20.00	0.01	39.99	60.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>					
31	2225 ए 2 (1) (3) (18) कुष्ठरोगियों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान	2.73	-	0.11	2.84	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
32	2225 ए 2 (1) (4) (1) सहायता अनुदान, योगदान इत्यादि (द.प.नि.)	0.72	-	0.0043	0.72	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
33	3055 डी 3 (3) (3) कार्यक्षमता में कमी हेतु डीटीसी को सहायता अनुदान	600.00	106.74	68.26	775.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	<b>अनुदान सं.10 विकास</b>					
34	2415 बी 6 (1) (2) (1) सहायता अनुदान एसपीसीए	1.21	0.01	0.38	1.60	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	<b>अनुदान सं.11 शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग</b>					
35	2202 ए 4 (1) (1) (1) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	387.54	0.01	23.52	411.07	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
36	2202 ए 4 (1) (1) (1) (3) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	295.98	0.01	17.95	313.94	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
37	2202 ए 4 (1) (1) (1) (4) पूर्वी	196.05	0.01	11.90	207.96	अधिक अनुदान जारी होने के कारण

	दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान					के कारण
38	2215 ए 6 (1) (1) (8)पुनर्वास कॉलोनियों में जल हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	2.00	0.01	0.99	3.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
39	2215 ए 6 (1) (2) (1) (2)ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	10.00	0.01	1.99	12.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
40	2215 ए 6 (2) (1) (5) जेएनएनयूआरएम परियोजना के अन्तर्गत तीन बड़े नालों पर इंटरसेप्ट सीवर हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	87.20	0.01	40.74	127.95	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
41	2216 ए 7 (1) (1) (3) कमजोर वर्गों हेतु आवासों के निर्माण हेतु डीएसआईडीसी को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	200.00	0.01	96.54	296.55	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
42	2216 ए 7 (1) (1) (7) कमजोर वर्ग हेतु आवासों के निर्माण हेतु न.दि.न.नि.को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	-	0.01	3.49	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
43	2217 ए 8 (1) (1) (2) (1)जेजेआर कॉलोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	9.00	0.01	7.99	17.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
44	2217 ए 8 (2) (1) (3) (1) स्वच्छता व साफ-सफाई सेवाओं को सुदृढ़ करने व उनके यन्त्रीकरण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	81.00	0.01	24.99	106.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
45	2217 ए 8 (2) (1) (3) (2) )स्वच्छता व साफ-सफाई सेवाओं को सुदृढ़ करने व उनके यन्त्रीकरण हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	135.00	0.01	2.49	137.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
46	2217 ए 8 (2) (1) (3) (3)स्वच्छता व साफ-सफाई सुविधाओं को व यन्त्रीकरण सुदृढ़ करने हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	24.00	0.01	15.99	40.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
47	2217 ए 8 (2) (1) (7) (3) सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	4.00	0.01	3.99	8.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
48	2217 ए 8 (2) (1) (14) (3) बागवानी विकास के माध्यम से पर्यावरण सुधार हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.80	0.01	0.69	2.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
49	2217 ए 8 (2) (1) (17) (2) अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सेवाओं हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	16.00	0.01	43.99	60.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
50	2217 ए 8 (2) (1) (24) (3) अनधिकृत कॉलोनियों में सेनिटेशन हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	5.00	0.01	9.99	15.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
51	2217 ए 8 (2) (1) (28) कर्नॉट प्लेस के पुनर्विकास हेतु न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	22.20	0.01	22.79	45.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
52	2217 ए 8 (2) (1) (34) डीयूएसआईबी स्थापना प्रभार सहायता अनुदान	60.00	0.01	29.99	90.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	<b>कुल</b>	<b>2939.61</b>	<b>107.14</b>	<b>537.95</b>	<b>3584.70</b>	

**अनुलग्नक 2.11**

**31 मार्च 2013 को कुल प्रावधान में से ₹1 करोड़ या अधिक या 40 प्रतिशत या अधिक की निधि के अभ्यर्पण के मामले (पैराग्राफ 2.7.6 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	मुख्य शीर्ष व उप शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोजन	अभ्यर्पित/ बचत धन- राशि	अभ्यर्पण/ बचत का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
<b>2010-11</b>						
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
1	अनुदान सं.8 समाज कल्याण	5055 डीडी.1(2)(4)-जेएनएनयूआरएम हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी	645.00	189.72	29.41	कम इकविटी का जारी होना
2		परिवहन विभाग 5055 डीडी.1(3)(1)- परिवहन के वैकल्पिक साधन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांली बसों का प्रारंभ	10.00	10.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
3		परिवहन विभाग 5075 डीडी.2(1)(1)(1)- दिल्ली के आईएसबीटी स्टेशनों की भीड़-भाड़ कम करना व उनका तार्किकीकरण	20.00	20.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
4		परिवहन विभाग 5425 डीडी.3(1)(1)- मोटर वाहनों के धुँए से होने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण	2.00	2.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
5		परिवहन विभाग 7055 डीडी.4 (2)(2)- दिल्ली में आईएसबीटी स्टेशनों की भीड़-भाड़ कम करने व तार्किकीकरण हेतु ऋण	55.00	55.00	100.00	ऋण जारी न होने के कारण
		<b>कुल</b>	<b>732.00</b>	<b>276.72</b>		
<b>2011-12</b>						
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
6	अनुदान सं.7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	4210 एनएन.1(1)(1)(1) (1)-डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में नवीन मेडिकल कॉलेज को स्थापित करना	20.00	16.32	81.60	योजना की धीमी प्रगति
7	अनुदान सं.8 समाज कल्याण	5452 ईई.1(1)(1)(2)-पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (कं.प्रा.यो.)	1.00	0.95	95.00	भा.स.से निधि प्राप्त न होना
8		7055 डीडी.4(1)(2)-एमआरटीएस को भूमि अधिग्रहण हेतु लघु ऋण	245.00	35.56	14.51	योजना की धीमी प्रगति
		<b>कुल</b>	<b>266.00</b>	<b>52.83</b>		
<b>2012-13</b>						
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
9	07. चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 ए.1(1)(2)-विधालय स्वास्थ्य योजना-कार्यालय व्यय एवं आपूर्ति व सामग्री	108.87	50.80	46.66	योजना की धीमी प्रगति, सामग्री का क्रय न होना
10		2210 ए.1(3)(3)(7)-गुर्दा व पित्त विज्ञान संस्थान हेतु सहायता अनुदान	96.00	30.00	31.25	कम अनुदान जारी होना

11		2210 ई.1(1)(1)( 1)-दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल-हॉस्पिटल का नवीनीकरण-प्रशा-वेतन एवं मशीनरी व उपकरण	180.28	17.46	9.68	रिक्तियाँ व ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रूप न देना
12		2210 एफ.1(1)(1)(1)-गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल-मशीनरी व उपकरण एवं आपूर्ति व सामग्री	257.35	40.85	15.87	सामग्री का क्रय व ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना
13		2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1)-मालवीय नगर कॉलोनी हॉस्पिटल-वेतन	24.11	13.05	54.13	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन
14		2210एडी .1(1)(1)(1)-गुरु गोविन्द सिंह हॉस्पिटल (रा.कें.प्रा.यो.)-वेतन, मशीनरी व उपकरण व आ.व.सा.	35.17	6.25	17.77	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना, सीपीए दरें उपलब्ध न होना
15		2210 एजी.1(1)(1)(1)-नरेला में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र हॉस्पिटल-वेतन	28.00	13.48	48.14	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन
16		2052 एके.1(1)(1)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-लघु मरम्मत,रखरखाव (गैर-योजनागत)	104.00	47.63	45.80	योजना को अंतिम रूप न दिया जाना
		<b>कुल</b>	<b>833.78</b>	<b>219.52</b>		

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुलग्नक 2.12  
वर्ष की अंतिम तिमाही/मार्च माह में व्यय  
(पैराग्राफ 2.7.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	मु.शीर्ष./उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च में व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
<b>2010-11</b>								
1	07	2210 ए. 1(1)(3)(4) कर्मचारी बीमा निगम को योगदान	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
2	07	2210 ए.1(1)(1)(4)(6) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान	45.00	45.00	36.75	81.67	36.75	81.67
3	07	2210 ए 1(1)(5)(6) स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु दि.न.नि. हेतु अनुदान	68.55	68.55	28.70	41.87	28.70	41.87
4	07	2210 ए. 1(3)(3)(7) गुर्दा व पित्त विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	180.00	180.00	105.00	58.33	105.00	58.33
5	07	2210 के. 1(10)(2) राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी (दिल्ली) को सहायता अनुदान	20.00	20.00	10.01	50.03	10.01	50.03
6	07	2210 एम. 1(1)(1)(12) खेड़ा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	37.00	27.07	27.07	100.00	27.07	100.00
7	08	2235 बी.2(1)(5)(1) भागीदारी-सामाजिक विकास की नई पहल	19.00	13.09	6.55	50.00	6.55	50.00
		<b>कुल</b>	<b>389.55</b>	<b>373.71</b>	<b>234.08</b>		<b>234.08</b>	
<b>2011-12</b>								
9	07	2210 ए 1(1)(5)(6) स्वास्थ्य प्रयोजन से दि.न.नि. को अनुदान	107.30	107.30	48.38	45.09	48.38	45.09
11	08	5055डीडी.1(2)(4) जेएनएनयूआरएम हेतु दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूंजी	241.00	201.00	112.23	55.83	112.23	55.83
12	08	7055 डीडी.4 (2)(3) आई एस बी टी हेतु डी टी डी सी को ऋण	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
		<b>कुल</b>	<b>368.3</b>	<b>328.3</b>	<b>180.61</b>		<b>180.61</b>	
<b>2012-13</b>								
13	07	2210 ए. 1(3)(3)(10)-एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00
14	07	2211 के.1(4)(1)-विशेष प्रतिरक्षण कार्यक्रम एमएम आर	6.45	6.40	4.25	66.41	2.15	33.59
15	07	2211 के.1(9)(4)-ग्रामीण परिवार सेवाएँ	1.30	1.30	1.30	100.00	1.30	100.00
16	07	2211 के.1(10)(2)-राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी दिल्ली को सहायता अनुदान	60.00	57.87	44.60	77.07	44.60	77.07
17	07	2210 एम. 1(1)(1)(1)(9)-आपूर्ति व सामग्री	4.84	4.67	4.67	100.00	4.67	100.00
18	07	2210 जेड. 1(1)(1)(7)-अन्य प्रशासकीय व्यय (पीवी) डा. एन. सी. जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल	1.00	0.69	0.69	100.00	0.69	100.00

19	08	2235 ए.2 (1)(5)(4)(5)-वृद्ध जनों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान (एनआईपी) अन्य योजनाएँ	0.09	0.08	0.08	100.00	0.08	100.00
20	08	2235 ए-2 (1)(8)(1) व. नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (रा.के.प्रा.यो.)	55.00	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00
21	08	2235 ए.2 (1)(8)(2) अशक्त जनों को बेरोजगारी भत्ता (रा.के.प्रा.यो.)	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	10.00
22	08	4235 एए.1(1)(2)(1) वृद्धाश्रम	2.30	1.46	1.05	71.91	1.04	71.23
23	08	4235 एए.1(1)(2)(2) हाफ वे होम / लांगस्टे होम	14.00	14.00	7.00	50.00	7.00	50.00
24	08	2235 बी.2(1)(2)(18) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को स.अ. (राज्य अंश)	0.70	0.65	0.65	100.00	0.65	100.00
25	08	2235 बी.2(1)(2)(19) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	6.53	4.28	4.28	100.00	4.28	100.00
26	08	2225 सी.1(1)(2)(1) अजा/अजजा हेतु डीएसएफडीसी को वित्तीय सहायता	0.55	0.30	0.30	100.00	0.30	100.00
27	08	6225 सीसी.2(1)(2)(6) अजा/अजजा/अपिव/अल्प-संख्यक हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण (रा.के.प्रा.यो.)	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
28	08	5055 डीडी.1(2)(1) एमआरआई प्राधिकरण को इक्विटी पूंजी	749.70	749.70	449.70	59.98	449.70	59.98
29	08	5055 डीडी.1(2)(2) बसों के क्रय हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी	200.00	199.55	199.55	100.00	199.55	100.00
		<b>कुल</b>	<b>1124.71</b>	<b>1118.2</b>	<b>795.37</b>		<b>793.26</b>	

**अनुलग्नक 2.13**

**अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक)**  
(पैराग्राफ 2.7.8 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
	<b>2010-11</b>					
	राजस्व-दत्तमत					
	<b>अनुदान सं.7-चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>					
1	2210 ए.1(1)(7)(1)-जे जे क्लस्टरों हेतु मोबाइल वैन डिस्पेंसरियाँ (एससीएसपी)	996.00	983.80	12.20	135.00	औषधियों की आपूर्ति प्राप्त न होने तथा अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण भाड़े के वाहनों का भुगतान न होना।
2	2210 डी.1(1)(1)(1) अरुणा आसफ अली अस्पताल (सिविल अस्पताल)	3241.77	2756.56	485.21	150.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, पदधारियों का परिवर्तन व कम दावों की प्राप्ति
3	2210 आई.1(1)(1)(2)-खाद्य व आपूर्ति	120.00	24.46	95.54	290.00	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण उपकरणों का क्रय न होना
4	2210 एम.1(1)(1)(1)-आईएसएम व होम्योपैथी निदेशालय	1005.90	963.91	41.99	45.00	कुछ प्रशासकीय कारणों से एलटीसी बिलों को अंतिम रूप न दिया
5	2210 एन.1(1)(1)(1)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	7557.00	7321.17	235.83	580.00	कम भण्डार मर्दों का क्रय तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
6	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	2087.00	1839.41	247.59	82.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, पदधारियों का परिवर्तन तथा कम दावों / बिलों की प्राप्ति
7	2210 बी.1(1)(1)(1)-भगवान महावीर अस्पताल	2800.00	2699.14	100.86	109.00	एसआर/ जेआर के रिक्त पदों का न भरा जाना।
8	2210 वाई.1(1)(1)(1)-शास्त्री पार्क अस्पताल	3000.00	2787.92	212.08	100.00	कम भण्डार मर्दों का प्रापण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
	<b>अनुदान सं.8 समाज कल्याण</b>					
9	2235 बी.2(1)(2)(2)-बाल गृह बालकों हेतु आब्जर्वेशन होम	668.13	651.26	16.87	29.42	उपलब्ध नहीं
10	2235 बी.2(1)(2)(10)-बाल सदन	88.00	42.27	45.73	14.00	कम भण्डार मर्दों का प्रापण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
11	2235 बी.2(1)(3)(4)-नारी निकेतन	101.90	86.68	15.22	12.00	उपलब्ध नहीं
12	2235 बी.2(1)(3)(10)-राज्य महिला आयोग	248.00	248.00	-	76.00	समय पर संस्वीकृति प्राप्त न होना
13	2235 बी.2(1)(3)(21)-लाडली योजना	10300.00	8814.24	1485.76	700.00	कम लाभार्थी संख्या
14	2235 बी.2(1)(4)(1)-ग्राम कुटीर गृह	115.30	112.54	2.76	15.98	उपलब्ध नहीं
15	2236 बी.3(1)(1)(10)-राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)	-	-	-	95.26	योजना का गैर क्रियान्वयन
16	2225 सी.1(1)(1)(1)-अजा/अजजा-निर्देशन व प्रशासन (एससीएसपी)	294.20	219.28	74.92	22.00	रिक्त पद न भरा जाना व कम विज्ञापन



17	3452 ई.1(2)(3)(9)- संजय लेक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के निर्माण हेतु दि.प.प.वि.नि. हेतु स.अ.	-	-	-	362.00	दी.प.प.वि.नि. को अनुदान जारी न होना
	<b>कुल</b>	<b>32623.20</b>	<b>29550.64</b>	<b>3072.56</b>	<b>2817.66</b>	
	<b>2011-12</b>					
	<b>राजस्व- दत्तमत</b>					
	<b>अनुदान सं. 7 -चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>					
18	2210 ए.1(1)(3)(1)-कर्मचारी राज्य बीमा निगम को योगदान	1260.00	0.00	1260.00	716.20	योजना का गैर क्रियान्वयन
19	2210 बी.1(1)(1)(1)-लोक नायक अस्पताल	23721.50	22954.39	767.11	645.00	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम भण्डार मदों का क्रय तथा कम लाभार्थी संख्या
20	2210 सी.1(1)(1)(1)-जी.बी.पंत अस्पताल	18328.00	17911.33	416.67	300.00	रिक्त पद तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना
21	2210 एन.1(1)(1)(1)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	8206.00	7339.21	866.79	100.00	रिक्त पद न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
22	2210 क्यू.1(1)(1)(1)-डा. हेडगेवर-आरोग्य संस्थान	3600.00	3268.41	331.59	90.00	रिक्त पदों का न भरा जाने, कम दावों बिलों की प्राप्ति, कम मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
23	2210 वी.1(1)(1)(1)-भगवान महावीर हॉस्पिटल	3200.00	2923.98	276.02	574.20	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना
24	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1) मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	2189.00	1879.86	309.14	100.00	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना
25	2210 एबी.1(1)(1)(1)-लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एससीएसपी)	4171.80	3924.56	247.24	61.53	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना
26	2210 एडी.1(1)(1)(1)-गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल (एससीएसपी)	2911.70	2881.83	29.87	180.00	कम भण्डारों का क्रय, रिक्तियों, कम बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना
27	2210 आई.1(1)(1)(1)-बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एससीएसपी)	2514.00	2259.98	254.02	130.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, कम बिजली बिलों की प्राप्ति तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
28	2210 एजी.1(1)(1)(1)- नरेला में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल	2400.00	2363.00	37.00	110.00	मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा समय पर सामग्री व आपूर्ति के बिलों की प्राप्ति
29	2210 एच.1(1)(1)(1)-आ. एवं यू.	1872.20	1855.39	16.81	92.00	रिक्तियों, कम लाभार्थी

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	तिबिया कालेज					संख्या
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>					
30	2225 सी.1(1)(3)(9)-अजा/अजजा/अपिव तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति- कक्षा I से XII	4023.00	3601.85	421.15	677.00	योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से कम माँग
31	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	200.00	49.56	150.44	193.35	कुछ प्रशासकीय कारणों से निधि जारी होने की संरवीकृति प्राप्त न होना
	<b>कुल</b>	<b>78597.20</b>	<b>73213.35</b>	<b>5383.85</b>	<b>3969.28</b>	
	<b>2012-13</b>					
	<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
	<b>अनुदान सं. 8 समाज कल्याण</b>					
32	2235 ए.2(1)(5)(4)-अन्य योजनाएँ	106.38	68.00	38.38	5.00	कारणों की प्रतीक्षा है।
33	2235 बी.2(1)(1)(3)-सुरक्षा आंतरिक व बाह्य तथा स्वच्छता अभिवृद्धि (डीडब्ल्यूसीडी)	500.00	483.68	16.32	150.00	कम दरों पर नई एजेसी की नियुक्ति
34	2235 बी.2(1)(5)(1)-भागीदारी-सामाजिक विकास में नई पहल	1850.00	1845.44	4.56	180.00	योजना की धीमी प्रगति
35	2236 बी.3(1)(1)(2)-किशोरी कन्याओं हेतु योजना (किशोरी शक्ति योजना)	70.00	67.32	2.68	3.00	उपलब्ध नहीं
36	2225 सी.1(1)(1)(15)-अजा हेतु शिक्षा का केन्द्र (एससीएसपी)	900.00	0	900.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
37	2225 सी.1(1)(3)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व लेखन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	5500.00	5277.86	222.14	115.00	क्रियान्वयन विभाग द्वारा निधि का उपयोग न होना
38	3452 ई.1(1)(1)(5)-सईद-उद-अजायब में पर्यटक काम्प्लेक्स (कें.प्रा.यो.)	50.00	0	50.00	50.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना
39	3452 ई.1(2)(3)(9)-संजय लेक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के निर्माण हेतु दि.प.प.वि.नि. हेतु सहायता अनुदान (कें.प्रा.यो.)	10.00	0	10.00	350.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना
40	3452 ई.1(2)(3)(12)-दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में नई सुविधाओं हेतु दि.प.प.वि.नि. को सहायता अनुदान	5.00	0	5.00	10.00	कारणों की प्रतीक्षा है।
	<b>कुल</b>	<b>8991.38</b>	<b>7742.30</b>	<b>1249.08</b>	<b>963.00</b>	

**अनुलग्नक-2.14**  
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जिनमें अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)  
(पैराग्राफ 2.7.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचतें	बचतों का कारण
<b>2010-11</b>				
राजस्व- दत्तमत				
अनुदान सं. 7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य				
1	2210 डा. एन. सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल जेड.1(1)(1)(1) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, एलोपैथी: अस्पताल व डिस्पेंसरी	0.39	1.87	रिक्त पद न भरे जाने कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
2	2210 स्वास्थ्य-सह-मातृत्व चिकित्सालय, कान्तिनगर ए एल.1 (1)(1)(1) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, एलोपैथी अस्पताल व डिस्पेंसरी	0.02	1.21	रिक्त पद न भरे जाने कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
3	2235 ए.2(1)(1)(1)-समाज कल्याण निदेशालय	1.06	1.79	कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा कम भण्डार मदों का प्रापण
पूँजीगत- दत्तमत				
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
4	4235 ए.ए.1(1)(1)(1)-वर्तमान भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान	0.99	1.17	कार्य की धीमी प्रगति
	<b>कुल</b>	<b>2.46</b>	<b>6.04</b>	
<b>2011-12</b>				
राजस्व- दत्तमत				
अनुदान सं. 7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य				
5	2210 सी.1(1)(1)(1)-जी.बी.पंत अस्पताल	3.69	10.85	रिक्त पद व क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
6	2210 आई.1(1)(1)(1)-खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का क्रियान्वयन	0.71	1.32	रिक्त पद न भरे जाना
7	2216 क्यू.1(1)(1)(1)-डा. हेडगेवर आरोग्य संस्थान	1.10	5.32	रिक्त पद न भरे जाने तथा मशीनरी व उपकरण के क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना
8	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0.18	1.01	मशीनरी व उपकरण के प्रापण हेतु निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना
9	2210 ए एफ.1(1)(1)(1)-महर्षि बाल्मीकि अस्पताल	0.46	1.81	रिक्त पद न भरे जाने कम बिजली बिलों की प्राप्ति तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
10	2210 एजे.1(1)(1)(1)(1)-नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल	0.36	1.35	रिक्तियाँ, कम बिलों की प्राप्ति व निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
11	2235 ए.2(1)(1)(1)-समाज कल्याण निदेशालय	0.26	1.13	सम्बन्धित विभाग द्वारा सीसीटीवी हेतु भुगतान को किलयरेंस प्राप्त न होना
12	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	1.25	4.69	कूछ प्रशासकीय कारणों से निधि के जारी होने हेतु संस्वीकृति प्राप्त न होना
13	2041 डी.1(4)(2)-परिवहन निदेशालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण न होना	0.06	2.12	योजना की धीमी प्रगति

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

14	3452 ई.1(2)(2)(3)-पर्यटक स्थल के रूप में दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा	1.09	1.63	वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होना
15	3452 ई.1(2)(2)(4)- पर्यटन अवसंरचना	0.99	1.05	वित्त विभाग से तरण-जेटी के क्रय हेतु अनुमोदन प्राप्त न होना
<b>पूँजीगत- दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 8-समाज कल्याण</b>				
16	4235 एए.1(1)(2)(2)-हाफ वे होम/लॉग स्टे होम	4.99	5.00	प्रस्तावों में प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति न होना
17	4225 सी.सी.1(1)(2)(1)-शिक्षा के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण	0.47	2.47	योजना का क्रियान्वयन न होना
	<b>कुल</b>	<b>15.61</b>	<b>39.75</b>	
<b>2012-13</b>				
<b>राजस्व- दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 7:चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>				
18	2210 बी.1(1)(1)(1)-लोक नायक अस्पताल	15.43	30.15	रिक्तियाँ, उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना तथा समय पर बिल प्राप्त न होना
19	2210 ओ.1(1)(1)(1)-राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1.50	2.00	रिक्तियाँ, ई-निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम दावों/विलों की प्राप्ति
20	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1.61	2.36	रिक्त पद का न भरा जाना
21	2210 यू.1(1)(1)(1)-अतर सेन अस्पताल	2.18	3.02	पदों को योजनागत से गैर-योजनागत में बदला जाना, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम व कम मशीनरी व उपकरण का क्रय
<b>अनुदान सं. 8-समाज कल्याण</b>				
22	2235 बी.2(1)(3)(14)-कामकाजी महिला छात्रावास	0.31	0.50	रोहिणी में कामकाजी महिला छात्रावास का उद्घाटन न होना
23	2225 सी.1(1)(3)(14)- योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति (कें.प्रा.यो.)	2.09	2.14	कुछ छात्रों द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत न किया जाना
24	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	9.00	10.00	क्रियान्वयक विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न होना
<b>पूँजीगत- दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 8-समाज कल्याण</b>				
25	7055 डी.डी.4(1)(5)-बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु एमआरटीएस को ऋण	99.48	300.00	एमआरटीएस को ऋण जारी न होना
26	5452 ईई.1(1)(2)(1)-पीतमपुरा में दिल्ली हाट का निर्माण (कें.प्रा.यो.)	0.62	0.72	योजना का क्रियान्वयन न होना
	<b>कुल</b>	<b>132.22</b>	<b>350.89</b>	

## परिशिष्ट 3.1

स्वायत संस्थाओं के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करने वाली विवरणी  
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र.सं.	निकायों के नाम	सौंपेजाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखें जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की गईं	विधायिका में प्रस्तुति की गई पृ.ले.प.प्र.	लेखें प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब	विलम्ब की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 2013-14	2011-12	2011-12	-	हाँ	4 माह
2.	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएस) आईपीयू	सौंपा गया माना जाएगा	2011-12	2011-12	2009-10	-	1 वर्ष
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी)	2007-08 to 2011-12	2007-08 व 2008-09	2008-09	1999-2003	हाँ	3 से 4 वर्ष
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	सीएजी के कार्यालय का स्पष्टीकरण	2006-07 व 2007-08	2006-07	2003-04	हाँ	4 से 5 वर्ष
5.	दिल्ली भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	-	2002-03 से 2011-12	2002-03 व 2004-05	-	हाँ	1 माह से 9 वर्ष
6.	दिल्ली अ.जा/अ.ज./अ.पी.व./अल्प संख्यक तथा विकलींग वित्त एवं विकास निगम लि.	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सुपुर्दगी	2003-04	2003-04	-	हाँ	8 वर्ष
7.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)	स्थापना से	2011-12	2011-12	-	-	-
8.	दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण (डीईआरसी)	स्थापना से	2011-12	2011-12	2011-12	हाँ	-

### परिशिष्ट 3.2

दुरुपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विवरण  
(मामले जिनमें मार्च 2013 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)  
(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	10 से 15 वर्ष	कुल मामलों की संख्या
1	चिकित्सालय	-	7	1	-	8
2	एन.सी.सी.	-	2	-	-	2
3	शिक्षा	1	1	4	1	7
4	प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग	-	1	-	-	1
5	समाज कल्याण विभाग	-	-	1	1	2
6	गुरु नानक देव पोलिटेक्निक	-	1	-	-	1
7	विविध	2	-	-	-	2
	कुल	3	12	6	2	23

**परिशिष्ट 3.3**  
सरकारी सामान की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के  
मामलों के संबंध में विभाग-वार/श्रेणी-वार विवरण  
(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी मदों का/ दुरुपयोग/हानि		कुल	
	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
चिकित्सालय	3	दिखाया नहीं गया	5	9.78	8	9.78
एन.सी.सी.	-	-	2	0.11	2	0.11
शिक्षा	3	0.06	4	12.69	7	12.75
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग	1	दिखाया नहीं गया	-	-	1	-
समाज कल्याण विभाग	1	0.40	1	0.01	2	0.41
गुरु नानक देव पोलोटैक्निक	1	दिखाया नहीं गया	-	-	1	दिखाया नहीं गया
विविध	2	दिखाया नहीं गया	-	-	2	दिखाया नहीं गया
<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>0.46</b>	<b>12</b>	<b>22.59</b>	<b>23</b>	<b>23.05</b>